शोध संचयन
A Refereed Research Journal
And a complete Periodical dedicated to
Humanities & Social Science Research
ISSN 0975 1254 (PRINT)
ISSN 2249-9180 (ONLINE)
www.shodh.net
Vol. 9
Issue 1
15 January, 2018

जनजातीय समस्याओं के निराकरण में मीडिया की भूमिका (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

बीज शब्द :

जनजातीय समस्याएँ, मीडिया की भूमिका, अनुसूचित क्षेत्र, मॉस मीडिया, जनजातीय विकास, परम्परागत माध्यम।

स्वतंत्रता के इकहत्तर वर्षों के बाद भी आदिवासी क्षेत्रों में विकास का स्तर नगण्य है। अत्याधुनिक तकनीक एवं संसाधनों के विकास तथा सरकारी स्तर पर प्रारम्भ की गई योजनाओं का लाभ बहुत थोड़े स्तर पर ही मिला है। अशिक्षा गरीबी, एवं जागरुकता के न अभाव में लोग विकास से अछूते हैं। ऐसे परिवेश में मीडिया ही एकमात्र साधन है जो लोगों में जनजागरूकता का संचार कर इस क्षेत्र का चहुँदिश विकास कर सकती है।

*****

डॉ. गुरु सरन लाल
सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छ.ग.,
E-mail: gurusaranlal@gmail.com

डॉ. गोपा बागची
विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छ.ग.,
E-mail: drgopabagchi@gmail.com

जनजातीय समस्याओं के निराकरण में मीडिया की भूमिका (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

आदिवासियों को मूल निवासी कहा जाता है। वे आदिकाल से देश में निवास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से समाज का विकास हुआ। लोगों के जीवन स्तर, खानपान, आचार-विचार, शिक्षा, स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। तकनीक का विकास हुआ। कार्यालयों में नये-नये उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है। ऑनलाइन माध्यम से कार्य सम्पन्न किये जाने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आदिवासी लोगों के विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन उन योजनाओं का हश्र क्या होता है? उन योजनाओं का लाभ आदिवासी ले पर रहे हैं या नहीं, यह जानने की फुर्सत किसी को नहीं है। आदिवासी विकास पर करोड़ों रूपये का आवंटन होता है, लेकिन उन पैसों का आदिवासी विकास में समुचित उपयोग नहीं हो पाता। यह केवल आदिवासी विकास का आर्थिक पहलू है। लेकिन ये भी सच है कि आर्थिक पहलू से ही बाकी पहलुओं का विकास संभव हो पाता है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासी लोग काफी पिछड़े हुए हैं।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग एक तिहाई है। जनजातीय लोगों की कई समस्याएं हैं जिनमें अशिक्षा, बेरोजगारी, अंधविश्वास, स्वास्थ्य, आवागमन के साधन, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि शामिल हैं। इन समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। विशेष प्रावधानों के तहत विशेष योजना का भी प्रावधान किया जाता है जो कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास में काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। विशेष योजना के क्रियान्वयन और अनुपालन में कई दिक्कतें आती हैं और इससे संबंधित समाचार मीडिया में प्रायः प्रकाशित- प्रसारित होते रहते हैं। लेकिन इन समाचारों को पर्याप्त फालोअप नहीं किया जाता, साथ ही गैर-सरकारी संगठन, स्व सहायता समूह, राजनीतिक पार्टियां इत्यादि का सहयोग भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता।

विकास कार्यों में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, परंपरागत एवं न्यू मीडिया द्वारा लोगों को सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, जागरूकता, सतर्कता, प्रेरणा आदि प्रदान किया जाता है। मीडिया द्वारा विकास योजनाओं, कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार किया जाता है। साथ ही लोगों की प्रतिक्रिया भी सरकार तक पहुंचायी जाती है। आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका का परीक्षण करने पर पता चला कि आदिवासी विकास में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है लेकिन अफसोस कि आदिवासी मुद्दों को मीडिया गंभीरता से नहीं लेता। आदिवासी मुद्दों पर तभी ध्यान दिया जाता है जब भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, आदिवासी संघर्ष की बातें सामने आती हैं। लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने के अलावा जागरूक करने, प्रेरित प्रोत्साहित करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसमस्याओं को उठाने में और निराकरण में मीडिया अग्रणी है। जनजातीय समस्याओं की बात की जाए तो मुख्यधारा की मीडिया से अधिक अपेक्षा नहीं की जाती बल्कि वैकल्पिक मीडिया अधिक गंभीरता से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सामुदायिक रेडियो, सामुदायिक समाचार पत्र-पत्रिकाओं का कार्य सराहनीय है। प्रस्तुत शोध-पत्र में जनजातीय समस्याओं पर मीडिया का नजरिया, कवरेज और निराकरण में मीडिया की भूमिका को परिलक्षित किया गया है।[1,2]

अध्ययन का महत्व

सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। आदिवासी लोगों के विकास के लिए विशेष योजनाओं/कार्यक्रमों और बजट का प्रावधान होता है। प्रस्तुत अध्ययन में आदिवासी मुद्दों और उन मुद्दों पर सरकार का रूख तथा मीडिया की भूमिका का परीक्षण करने की कोशिश की गई है। इससे आदिवासी मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित होगी साथ ही उन मुद्दों के निराकरण में मीडिया की भूमिका को परिलक्षित किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्रः

अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य को लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश के दक्षिण-पूर्व दिशा में अवस्थित है। मध्य प्रदेश से ऐसी स्थिति के कारण ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के पूर्वांचल की संज्ञा दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं देश के छह राज्यों से घिरी हुई हैं। ये राज्य हैं-उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा,आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर-पश्चिम में मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, दक्षिण-पश्चिम में आन्ध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा तथा उत्तर-पूर्व में झारखण्ड स्थित है। राज्य का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा 01 नवंबर, 2000 को हुआ तथा यह देश का 26 वां राज्य बना। राज्य की राजधानी रायपुर समस्त प्रशासनिक वं राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र है। छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा, कोरबा, उराँव, हल्वा, भतरा, कँवर, कमार, माडिया आदि जनजातियां निवास करती हैं।[5,6]

अनुसूचित क्षेत्रः

संविधान के पांचवी अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244 (1) तथा 244 (2) में अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। संविधान की पांचवीं अनुसूची में इसका विवरण है। भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य का कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यह देश के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किसी राज्य का वह भूखण्ड है जहां अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। 1977 के अंत से अब तक दो राष्ट्रपतियों ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये हैं। यह क्षेत्र निम्न राज्यों के हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। सम्प्रति देश में 4,17,199 वर्ग किलोमीटर अनुसूचित क्षेत्र है जहां 429.41 लाख अनुसूचित जनजातियों की आबादी है।[4,6]

दृष्टव्य है कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए उक्त राज्यों के राज्यपाल यदि चाहें तो सामान्य कानूनों को जनजातियों पर लागू करते समय परिवर्तन या परिसीमन कर सकते हैं। वे इन घोषित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने एवं प्रशासन के भली-भांति संचालन के लिए नियम भी बना सकते हैं। ये नियम पंचम अनुसूची में वर्णित भूमि हस्तांतरण को रोकने, भूमि आवंटन करने, व्यापारियों एवं महाजनों की गतिविधियों को नियंत्रित करने आदि के बारे में हो सकते हैं। राज्यपाल राज्य के उन अनुसूचित जनजातियों की विशेष कानून के दायरे में ला सकते हैं जो वास्तव में अनुसूचित क्षेत्र में नहीं रहते हैं। इसकी सूचना वह राष्ट्रपति को दे देता है। विभिन्न राज्यों में इस संबंध में नियम बनाये जा चुके हैं। कुछ राज्यों ने अपने पूर्व अधिनियमों में जनजातियों के हितार्थ आवश्यक परिवर्तन भी किया है।

पंचम अनुसूची में इसका भी प्रावधान है कि राज्यपाल अपने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जनजातिय सलाह परिषद की स्थापना करेगा। साथ ही उन राज्यों में भी इस प्रकार की सलाह परिषद स्थापित हो सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं किन्तु अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं है।

मास मीडिया और जनजातीय विकासः

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है। लोकतंत्र के तीन स्तम्भों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद मीडिया को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।

मीडिया के कई रुप हैं- प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया और न्यू मीडिया। इसके साथ ही सामुदायिक मीडिया और सोशल मीडिया। इन सभी मीडिया की भूमिका को आदिवासी विकास के नजरिए से समझा जा सकता है-

प्रिंट मीडियाः

प्रिंट मीडिया के अन्तर्गत समाचार-पत्र, पत्रिकाएं और मुद्रित सामग्री आती हैं। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कम है और प्रिंट मीडिया का उपयोग करने के लिए पढ़ा-लिखा होना एक अनिवार्य शर्त है। इस नजरिए से आदिवासी इलाकों में प्रिंट मीडिया ज्यादा सफल नहीं हो सकता। सामुदायिक समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से प्रिंट मीडिया गांवों तक पहुंच रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडियाः

इसके अन्तर्गत रेडियो, टेलीविजन और फिल्में आती हैं। आदिवासी इलाकों में रेडिया एक सस्ता, सुलभ और प्रभावी माध्यम है। रेडियो सरकारी और गैर सरकारी दो तरह के हैं। सरकारी रेडियो यानि आकाशवाणी की पहुंच 99 प्रतिशत क्षेत्रों तक है। इसके कार्यक्रम विशिष्ट श्रोतावर्ग को ध्यान में रखकर प्रसारित किये जाते हैं-जिनमें युवाओं के लिए 'युववाणी', किसानों के लिए 'खेती-किसानी' या 'चौपाल', बच्चों के लिए 'बाल जगत' इत्यादि शामिल हैं। निजि रेडियो के प्रसारण अभी गांवों तक पूर्ण रुप से नहीं पहुंच सके हैं। आदिवासी इलाकों में टेलीविजन अभी भी दूर की कौड़ी है।

परंपरागत माध्यमः

परंपरागत माध्यमों के अन्तर्गत लोकगीत, लोक कला, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली नाच इत्यादि आते हैं। यह मीडिया भारत की परंपराओं से बना है इसलिए इसे परंपरागत माध्यम कहा जाता है। वास्तव में यही एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो आदिवासी क्षेत्रों के विकास में पूरी तल्लीनता से अपना योगदान दे रहा है। इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद यह माध्यम अन्य माध्यमों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है।[3]

न्यू मीडियाः

इंटरनेट के आने के बाद जब इंटरनेट का इस्तेमाल मीडिया के लिए किया गया तो उसे न्यू मीडिया कहा गया। इसमें वेबसाइट, ई-मेल, ई-समाचार पत्र, ई-मैगेजीन, ब्लाग, वेब पोर्टल, इत्यादि आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के उपभोक्ताओं का प्रतिशत कम है। ऐसे में आदिवासी विकास में न्यू मीडिया की भूमिका बहुत ही कम है या नगण्य है।

सामुदायिक मीडियाः

प्रत्येक समुदाय की अपनी-अपनी विशेषताएं होती हैं।

उनकी अपनी समस्याएं और संभावनाएं होती हैं। अलग-अलग समुदाय के विकास के लिए उपयोग में लायी जाने वाली मीडिया को सामुदायिक मीडिया कहते हैं। इसमें सामुदायिक समाचार-पत्र, सामुदायिक पत्रिकाएं, सामुदायिक रेडियो, सामुदायिक टीवी आते हैं। आदिवासी क्षेत्रों के विकास में और जागरुकता फैलाने में सामुदायिक मीडिया बहुत कारगर है। इसमें समुदाय की जरुरतों, आवश्यकताओं, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं की भाषा में विभिन्न कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं। सामुदायिक रेडियो और सामुदायिक टीवी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारी द्व ारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनायी जाने वाली योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को सामुदायिक मीडिया के माध्यम से आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।

सोशल मीडिया:

सोशल मीडिया को मुख्य मीडिया के अन्तर्गत नहीं रखा गया है। लेकिन कभी-कभी यह मुख्य मीडिया से अधिक प्रभावशाली होता है। इसमें सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फेसबुक, ट्वीटर, लिंकेड, गूगल प्लस जैसी वेबसाइट इसके वाहक हैं। इसके माध्यम से किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय को आसानी से लोगों तक पहुंचाना संभव है और लोगों की एक राय बनाना और सहमति कायम करना आसान है। इनसे जुड़ने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच नगण्य है।

शोध का परिणाम:

जनजातीय लोगों की कई समस्याएं हैं जिनमें अशिक्षा, बेरोजगारी, अंधविश्वास, स्वास्थ्य, आवागमन के साधन, सड़क, बिजली, भूमिअधिग्रहण, जल, जंगल और जमीन, सामाजिक समस्या जैसे टोनही प्रथा, बाल विवाह इत्यादि शामिल हैं। इन मुद्दों पर मीडिया अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। समय-समय पर आदिवासी मुद्दों पर खबरें प्रकाशित प्रसारित की जाती हैं। सरकार आदिवासी मुद्दों के निराकरण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तो बनाती है लेकिन इन योजनाओं और कार्यक्रमों का समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। सरकार को आदिवासी मुद्दों पर गंभीरता से कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

सुझाव

1. मीडिया को जनजातीय मुद्दों पर मुहीम चलाना चाहिए। जनजातीय मुद्दों को विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा उठाना चाहिए और समय-समय पर उनका फॉलोअप करना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि सरकार उनके लिए कार्य करे और उनकी समस्याएं सुने।

2. मीडिया को खुद पहल करके जनजातीय मुद्दों को कवर करना चाहिए, जैसा कि दो दशक पहले तक होता था। आज पत्रकारों में बदलाव के लिए या तो जज्बे की कमी है या वे विवश हैं। जनजातीय मुद्दों को मीडिया में लाने के लिए सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ को भी आगे आना होगा।

संदर्भ सूची:

1. डॉ. ए.आर.एन. श्रीवास्तव, 2007, जनजातीय भारत, मध्य प्रदश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ 1 एवं 3
2. नदीम हसनैन, 2006, भारत की जनजातियां, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ 10 एवं 12
3. परमार, श्याम, 1975, ट्रेडिशनल फोक मीडिया इन इंडिया, नई दिल्ली, पृष्ठ 11
4. माहेश्वरी, मुकेश, छत्तीसगढ़ एक परिचय, नई दिल्ली, टाटा मैकग्रा हिल एजुकेशन प्रा. लि., पृष्ठ 1.3 एवं 1.6
5. छत्तीसगढ़ विस्तृत अध्ययन, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इ) प्रा. लि., मेरठ, पृष्ठ 193 एवं 198
6. मुकेश माहश्वरी, छत्तीसगढ़ एक परिचय, 2011, टाटा मैकग्रा, हिल एजुकेशन प्रा. लि. नई दिल्ली, पृष्ठ सं. 1.59, आईएसबीएन:9780070705296

◆◆◆

An honest warning to research contributors

The writing of research papers is a very common phenomenon in the academic world. But now-a-days this is done without giving due care to the norms and ethics accepted for writing research papers. Even a small mistake spoils the reputation of the concerned person. We come across several stories of the violation of accepted norms. With the help of Electronic Editing, it is very common to cut ,copy and paste in Research article / thesis formation without giving a reference of the original work. We should always keep in mind that it is not a fare practice. While reviewing, sometimes we come across such malpractices. Such stories suggest that research scholars must be very honest and sincere in their work and must give proper attribution in case they quote any content from any original work.

Editor